सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **742** राँची, बुधवार, 15 आश्विन, 1937 (श०)

7 अक्टूबर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0जी0-34/2015-109--लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक**, 2015**
(झारखंड अधिनियम संख्या-12, 2015)

झारखण्ड नगरपालिका विधेयक**, 2012 (**झारखण्ड अधिनियम**, 07, 2012)**
में संशोधन हेतु अधिनियम

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम**,** प्रसार**,** एवं प्रारंभ -

i. यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015'' कहा जायगा ।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

iii. यह राजकीय गजट ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम**, 2011 (**झारखण्ड अधिनियम **07, 2012)** की अध्याय-**48** की धारा-**615(4), 615(6)(**क) एवं **615(6) (**घ) का संशोधन:-

i. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-615 की उपधारा-(4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन गठित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन तथा संशोधन अध्यादेश के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में निष्प्रभावी हो जायेगा ।

''परन्तु यह कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाएँ राज्य सरकार के अगले आदेश तक धनबाद नगर निगम क्षेत्र में भी संचालित की जा सकेगी।''

ii. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा-615 की उप धारा-(6) (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है:-

परन्तु यह कि राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के पदाधिकारियों/कर्मियों का वितरण खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं राज्य के विभिन्न नगर निकायों में करने से संबंधित आदेश जारी कर सकेगा।''

iii. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा-615 की उपधारा - 6 (घ) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

इस धारा की उपधारा (1) (3) (4) और (5) में उल्लेखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकारों तथा संगठनों में निहित सारी जंगम (चल) और स्थावर (अचल) संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार, पदवी तथा हित राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा विभिन्न नगर निकायों के बीच वितरित किया जाएगा ।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम**, 2011 (**झारखण्ड अधिनियम **07, 2012)** के अध्याय-**45** की धारा-**568** को निम्नांकित रूप में संशोधित किया जाता है:-

यदि कोई व्यक्ति, धारा-586 की उपधारा - (च) में यथाविनिर्दिष्ट या निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दंडणीय होगा ।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम**, 2011 (**झारखण्ड अधिनियम **07, 2012)** के **'**अनुसूची**'** में उल्लेखित **'(**देखें धारा-**454)'** के स्थान पर **'(**देखें धारा-**455)'** प्रतिस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 742—50 ।